(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1451–तीन/1999 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–5–1999 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 443/1996–97 निगरानी

लक्ष्मण सिंह पुत्र रामसिंह ठाकुर
निवासी दोनों का पुरा मौजा रजौदा
तहसील पोरसा जिला मुरैना ––– आवेदक

विरूद्ध

1– विद्याराम पुत्र पंचम लाल
2– अशोककुमार 3– रामभोग
पुत्रगण कुन्दनलाल 4– कमलावाई
पत्नि कुन्दनलाल ग्राम ग्यासी मौजा
रजौदा तहसील पोरसा जिला मुरैना
5– दिनेश 6– गिर्राज पुत्रगण कुन्दनलाल
7– कु. सुनीता 8– कु. कटोरी
दोनों पुत्रियां कुन्दनलाल कु.सुनीता अवयस्क
सरपरस्त माता कमलावाई
ग्राम ग्यासी मौजा रजौदा तहसील पोरसा ––अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 14–12–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 443/1996–97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–5–1999 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार पोरसा को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 168,

169, 190 सहपठित धारा 110 के तहत आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम रजौदा की भूमि खसरा क्रमांक 626 रकबा 1 वीघा 4 विसवा को भूमिस्वामी पंचमलाल ने जेठ शुदी 10 वीं संबत 2016 को 2000/-रू. नगद लेकर 50 वर्ष के लिये जुताई है तबसे निरन्तर काविज होकर कास्त कर रहा हूँ, इसलिये उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने के आधार पर नाम इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण क्रमांक 7/1992-93 अ 46 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 13-2-95 से आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 52/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 31-1-97 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 443/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-5-1999 से अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह का आदेश दिनांक 31-1-97 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार पोरसा का आदेश दिनांक 13-2-95 स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने ग्राम रजौदा की खसरा क्रमांक 626 रकबा 1 वीघा 4 भूमि पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 168, 169, 190 सहपठित धारा 110 के तहत उपकृषक

होना बताते हुये नामान्तरण किये जाने की मांग की है। जब मूल भूमिस्वामी को तहसीलदार ने सुनवाई हेतु आहुत किया, मूल भूमिस्वामी व्दारा उपकृषकत्व को नकार दिया तथा उसकी भूमि पर आवेदक व्दारा बेजा कब्जा करना बताया। भले ही पटवारी अभिलेख में किसी भूमिस्वामी की भूमि पर दीगर कृषक का कब्जा दर्ज रहा हो, उसे उपकृषक नहीं माना जा सकता , क्योंकि किसी मूल भूमिस्वामी की भूमि पर कब्जा करने वाले से कब्जा वापिसी का प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 में किया गया है और इन्हीं कारणों से तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण क्रमांक 7/1992-93 अ 46 में पारित आदेश दिनांक 13-2-95 से आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31-1-97 से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करते हुये पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने का प्रयास किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 443/96-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-5-1999 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 443/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-5-1999 उचित पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर